

फर्द प्रहकाम

(नियम 26)

अज नदालत अति. जिला कलेक्टर मुकान टोक

सुखा बनाम तहसीलदार देवली

किस्म मुकदमा

अपील

नं.

33


2013

सन्

65

27-8-13

4
2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख प्रहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15.07.2013	<p>अपीलान्त श्री सुखा गुजर ने जरिये अभिभाषक तहसीलदार देवली के आदेश दिनांक 30.05.2013 अन्तर्गत धारा 90क एल0आर0 एक्ट के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अन्तर्गत एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका अवलोकन किया गया। क्योंकि अवैध खनन एवं निर्गमन की प्रभावी रोकथाम हेतु आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 03.06.2013 को अति.जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है इस संदर्भ में तहसीलदार देवली द्वारा अपीलाधीन आदेश में कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु बजरी के ढेर लगाकर कार्य में लिये जाने के कारण एल0आर0 एक्ट 90क के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है इसलिए इन अपीलों की सुनवाई मेरे स्तर से किया जाना उचित नहीं रहेगा अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक को प्रेषित की जाकर पत्रावली में संदर्भित पक्षकार दिनांक 13.08.2013 को न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  वातावरत जिला कलेक्टर टोंक </p> <p>21/8/13</p> <p>पत्रावली न्यायालय आते जिला कलेक्टर टोंक से प्राप्त होने एवं मंत्रालयिक कर्मचारी शास्त्राधिक अंशकाश पर रहने के फलस्वरूप आज पेश हुई। आग्रिक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। Pe. साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली आग्रिक कार्यवाही हेतु दिनांक 27-8-13 को पेश करेंगे।</p> <p style="text-align: right;">शेख</p>	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

23-2-15

पत्रावली पेश। राजकीय पेंरीकार (रिजिस्ट्रार)
उफो। अपीलार्ड व उनके अफिसर अटो। अपीलार्ड
व उनके अफिसर के बार-2, रन्व-रन्व कर आकाश
लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अह. अपीलार्ड
अपीलार्ड अदरु हजरी- अदरु फैंडी में तारिख मी
जाती है। पत्रावली निर्णीह शुमार लेकर बाद
तकनीक कारवेह करार हो।

अतिरिक्त जिला जज
दोष